आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Energy Department, Government of Madhya Pradesh

Anusuchit Jati/Janjati Pump Dharak Krishi Upbhoktaon Ko Nishulk Vidyut Pradaay Yojana

मध्य प्रदेश में कम जमीन वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को खेती के पंप के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है।

क्या मिल सकता है

अनुसूचित जाति या जनजाति के जिस किसान के पास अधिकतम एक हेक्टेयर जमीन है, उसके 5 हॉर्सपावर तक के स्थायी कृषि पंप को निःशुल्क बिजली मिलती है। इसका खर्च राज्य सरकार अनुदान के रूप में उठाती है।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर तक कृषि भूमि और 5 हॉर्सपावर तक का कृषि पंप है।

मुख्य शर्तें

- किसान के पास अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो।
- कृषि भूमि एक हेक्टेयर से अधिक न हो, जिसे भूमि के दस्तावेज से दिखाया जाए।
- कृषि पंप की क्षमता 5 हॉर्सपावर तक हो, जिसका प्रमाण देना होता है।

दस्तावेज़

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र
- एक हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का दस्तावेज
- पंप की क्षमता का प्रमाण, 5 हॉर्सपावर तक

आवेदन कैसे करें

1. अलग से आवेदन का तरीका नहीं बताया गया है: योजना पृष्ठ के अनुसार शर्तें पूरी होने पर लाभ अपने आप मिलता है।
2. अपने बिजली वितरण केंद्र के प्रभारी से, जो पदभिहित अधिकारी हैं, तीनों दस्तावेजों के साथ मिलें।
3. आवेदन शुल्क नहीं है। अपील संबंधित जिले के कार्यपालन अभियंता के पास की जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/KnowYourEntitleDetail.aspx?status=BySchemeFor&pointvalue=0&Schemeid=596
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-sc-st-pump-free-electricity/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।